

प्रेषक

डा० अम्बरीष कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 04 जून, 2026

विषय:- भारत सरकार द्वारा विस्तारित जल जीवन मिशन 2.0 के अंतर्गत पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 367 /E-2 (Budget)/2026-27/Fin-3 दिनांक 04-05-2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जल जीवन मिशन- 2.0 के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृत निर्गत किये जाने के संबंध में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को जल जीवन मिशन 2.0 के रूप में दिसम्बर, 2028 तक विस्तारित किया गया है। जल जीवन मिशन 2.0 को लागू किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओओयू) पर हस्ताक्षर कर इसे अंगीकृत किया जा चुका है।

(2) अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत समझौता ज्ञापन एवं निर्गत ऑपरेशनल गाइड लाइन में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अधीन सम्यक विचारोपरांत जल जीवन मिशन 2.0 के अन्तर्गत प्रदेश में पाइप पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत प्रक्रिया को अंगीकृत करते हुए धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. एकल ग्राम एवं नान पीओडब्ल्यूएसओ योजनाओं पर राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय को समायोजित किया जाएगा एवं मदर सेंक्सन निर्गत करते हुए एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से जस्ट इन पेमेन्ट मोड के अन्तर्गत योजनावार भुगतान की व्यवस्था लागू की जायेगी।
2. क्वालिटी एवं क्वाण्टिटी प्रभावित क्षेत्रों में बहुल ग्राम योजनाओं पर राज्य द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय को समायोजित किया जाएगा एवं मदर सेंक्सन निर्गत करते हुए एस.एन.ए.स्पर्श के माध्यम से जस्ट इन पेमेन्ट मोड के अन्तर्गत योजनावार भुगतान की व्यवस्था लागू की जायेगी।

3. अन्य बहुल ग्राम एवं बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं पर भुगतान रिम्बर्समेंट मोड में, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि अतिरिक्त रूप में व्यय की गयी है अथवा की जायेगी, उसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अर्न्तगत अनुमन्य व्यय का 50 प्रतिशत धनराशि समायोजित किया जायेगा।
4. जल जीवन मिशन के अर्न्तगत स्वीकृत रेट्रोफिट / रिऑर्गनाइजेशन की योजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। अतः इन योजनाओं से सम्बन्धित अवशेष भुगतान राज्य सरकार के संसाधनों से करते हुए योजनाओं को पूर्ण कराया जायेगा।
5. केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के अर्न्तगत कास्ट एवं टाइम ओवर रन अनुमन्य नहीं किया गया है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका वहन राज्य सरकार के संसाधनों से किया जायेगा।

(3) अतः कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 04-06-2026
17:09:25
(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 23/2026/1204 (1) /छिहत्तर-1-2026/2031722, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय) प्रयागराज ।
- (2) निजी सचिव, मा० जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (3) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (4) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- (6) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 4/2/9/2026-सी.एक्स(1) दिनांक 03 जून, 2026 के क्रम में।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

3. अन्य बहुल ग्राम एवं बल्क वाटर सप्लाई योजनाओं पर भुगतान रिम्बर्समेंट मोड में, अर्थात् राज्य सरकार द्वारा जो भी धनराशि अतिरिक्त रूप में व्यय की गयी है अथवा की जायेगी, उसके सापेक्ष केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अर्न्तगत अनुमन्य व्यय का 50 प्रतिशत धनराशि समायोजित किया जायेगा।
4. जल जीवन मिशन के अर्न्तगत स्वीकृत रेट्रोफिट / रिऑर्गनाइजेशन की योजनाओं पर केन्द्र सरकार द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। अतः इन योजनाओं से सम्बन्धित अवशेष भुगतान राज्य सरकार के संसाधनों से करते हुए योजनाओं को पूर्ण कराया जायेगा।
5. केन्द्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन 2.0 के अर्न्तगत कास्ट एवं टाइम ओवर रन अनुमन्य नहीं किया गया है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका वहन राज्य सरकार के संसाधनों से किया जायेगा।

(3) अतः कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 23/2026/1204 (1) /छिहत्तर-1-2026/2031722, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय) प्रयागराज ।
- (2) निजी सचिव, मा० जल शक्ति मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (3) अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (4) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
- (6) विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1 के पत्र संख्या- 4/2/9/2026-सी.एक्स(1) दिनांक 03 जून, 2026 के क्रम में।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Digitally signed by
AMBRISH KUMAR SINGH
Date: 04-06-2026
(डा० अम्बरीष कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।